11

संख्या– /VI-2 /2011–71(7)2011

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः // अप्रैल, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत कार्यशाला का आयोजन तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्ययंत्रों एवं वेश–भूषा के क्रय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 तथा आपके पत्र संख्या–85/सं0नि0उ0/दो–3/2011–12 दिनांक 19 अप्रैल, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत कंडाली–2011 के अन्तर्गत चौंदास (चौदह गांव) हेतु पारम्परिक वाद्ययंत्र, वेष–भूषा क्रयार्थ रू0 50–50 हजार मात्र आर्थिक अनुदान तथा दिनांक 02 मई, 2011 को उक्त कार्यक्रम हेतु देहरादून में कार्यशाला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन/कलाकारों का मानदेय/भोजन/आवास/मार्ग व्यय/टेंट–पण्डाल/दर्शक दीर्घा आदि पर व्यय हेतु रू0 3400/–हजार (रू0 चौतीस लाख) मात्र की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में निम्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) अनुदान संख्या–31 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(धनराशि हजार ₹ में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
02–जनजातीय कला एवं संस्कृति का अभिलेखन, संरक्षण तथा उन्नयन हेतु योजना–00 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2400	–
03– पारम्परिक वाद्य यंत्रों एवं वेश–भूषा का क्रय 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1000	–
योग– (रू0 चौतीस लाख)	**3400**	–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वि...

.........(2)

विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– उक्त धनराशि के उपयोग के उपरान्त कराये गये कार्यो की योजनावार/लाभार्थीवार सूची एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाय।

6– उक्त धनराशि शासनादेश संख्या–150/VI-I/2007–4(4)/2007 दि0 5–3–2008 के द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने पर ही आहरित की जायेगी।

7– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने से पूर्व शासन/सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8– वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड–5) भाग–1 के अध्याय 16–क–अनुच्छेद 369 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि तभी प्रदान की जाये जब सम्बन्धित द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन का शपथ पत्र प्रदान किया जाये।

9– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इस हेतु एक समिति गठित की जायेगी।

10– उक्त धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मदवार व्यय शासन

.....(3)

को उपरोक्त साक्ष्य के साथ आवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

11– उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि इसी कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करेगी।

12– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–02–जनजातीय कला एवं संस्कृति का अभिलेखन, संरक्षण तथा उन्नयन हेतु योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता तथा अनुदान संख्या–31 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–03 परम्परिक वाद्ययंत्रों एवं वेशभूषा का क्रय–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 420/VI-2/2011–71(6)2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।